B. Com. (H)
P2 – A/cs (H)
Paper – IV –
CORPORATE ACCOUNTING

प्रो० धनंजय कुमार
सहायक प्राध्यापक
वाणिज्य विभाग
V.S.J. महाविद्यालय
राजनगर (मधुबनी)

## UNIT I
## ISSUE OF SHARES

अंशों के निर्गमन से संबंधित समस्याओं को हल करने के पूर्व यह जान लेना आवश्यक होगा कि – अंश क्या है? इसके प्रकार एवं निर्गमन प्रणाली क्या है? सबसे पहले अंश की परिभाषा को देखेंगे –

**अंश (SHARE)** – सामान्यतः कंपनी की समस्त पूँजी एक निश्चित राशि के हिस्सों में विभाजित होती है. ऐसे प्रत्येक हिस्से को ही अंश (share) कहा जाता है. तथा कंपनी की पूँजी को अंश पूँजी (Share Capital) कहा जाता है. अंश किसी भी कंपनी की चल संपत्ति होता है. क्योंकि Articles of Association के प्रावधानों के अनुसार कोई भी अंश के धारक किसी भी व्यक्ति को अपने अंश का हस्तांतरण कर सकता है. इसके अलावा Sale of Goods Act 1930 के अंतर्गत अंश को वस्तु माना गया है, जिसे वस्तु की तरह क्रय-विक्रय किया जा सकता है एवं जमानत के रूप में भी रखा जा सकता है.

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2(84) के अनुसार – " अंश का अर्थ एक कंपनी की अंश पूँजी के एक भाग से है और इसमें स्कन्ध (Stock) भी शामिल किया जाता है."

Sec. 43 के अनुसार एक सार्वजनिक कंपनी केवल दो प्रकार के अंश जारी कर सकती है –

1. पूर्वाधिकार अंश (PREFERENCE SHARES)
2. समता अंश (EQUITY SHARES)

Scanned with CamSc

1. पूर्वाधिकार अंश :→ Sec. 43 (b) के अनुसार— "पूर्वाधिकार अंश उन्हें कहा जाता है जिन्हें निम्न लिखित अधिकार प्राप्त होता है— (a) निश्चित दर से लाभांश समता अंशधारियों से प्रथम प्राप्त होना तथा
(b) कंपनी के समापन की दशा में अपनी पूंजी समता अंशधारियों से प्रथम प्राप्त होना।"

पूर्वाधिकार अंश निम्न प्रकार के होते हैं —

- (i) संचयी एवं असंचयी पूर्वाधिकार अंश (Cummulative and Non-Communulative Preference shares)
- (ii) शोध्य एवं अशोध्य पूर्वाधिकार अंश (Redeemable and Irredeemable Preference shares)
- (iii) भाग युक्त एवं अभाग युक्त पूर्वाधिकार अंश (Participating and Non-Participating Preference shares)
- (iv) परिवर्तनीय एवं अपरिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश Convertible and Non-Convertible Preference shares.

2. समता अंश :→ वैसे अंश जो पूर्वाधिकार अंश नहीं होते हैं, उसे समता अंश कहा जाता है। समता अंश पर लाभांश की दर निश्चित नहीं होती है, यदि किसी वर्ष लाभ न हो या कम लाभ हो तो ऐसी स्थिति में समता अंशधारियों को कोई लाभांश नहीं दिया जाता है। ऐसे अंश के धारकों को न तो लाभांश का पूर्वाधिकार होता है और न ही कंपनी की समाप्ति पर पूंजी ~~वाप~~ वापसी का पूर्वाधिकार होता है।

सामान्य तौर पर कंपनियों समता अंशों का ही निर्गमन करती है। क्योंकि यह कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करते हैं तथा वार्षिक सभा में वोट डालने का अधिकार रखते हैं...

## Difference between Preference share and Equity shares"

| आधार | पूर्वाधिकार अंश | समता अंश |
| --- | --- | --- |
| 1. लाभांश की दर | कंपनी अन्तर्नियमों के अनुसार लाभांश पूर्व निर्धारित दर से दिया जाता है. | जबकि इसका लाभांश की दर निश्चित नहीं होती बल्कि लाभ की मात्रा के अनुसार दी जाती है. |
| 2. लाभांश का भुगतान | ऐसे अंशधारी को लाभांश का भुगतान समता अंशधारियों से पहले किया जाता है. | जबकि इस अंश के अंशधारियों को पूर्वाधिकार अंशधारियों के बाद भुगतान किया जाता है. |
| 3. प्रबंध में अधिकार | ऐसे धारक को कंपनी के प्रबंध संचालन में भाग लेने का अधिकार नहीं होता है. | जबकि इस अंश के धारक को प्रबंध संचालन में भाग लेने का पूर्ण अधिकार होता है. |
| 4. लाभांश का बकाया | यदि किसी वर्ष इन अंशों पर लाभांश नहीं दिया जाता है तो बकाया राशि संचित हो जाती है. | जबकि इन अंशों पर किसी वर्ष लाभांश न मिलने पर बकाया राशि संचित नहीं होती है. |
| 5. अनिवार्यता | ऐसे अंश का निर्गमन कंपनी के लिए अनिवार्य नहीं होता है. | जबकि इस कंपनी का निर्गमन करना कंपनी के लिए अनिवार्य होता है. |

Scanned with CamSc

| आधार | पूर्वाधिकार अंश | समता अंश |
| --- | --- | --- |
| 6. वोट का अधिकार | ऐसे अंश के धारक को कंपनी की सभा में वोट देने का अधिकार नहीं होता है. केवल विशेष परिस्थिति में वोट देने का सीमित अधिकार होता है. | जब ऐसे अंश के धारकों को कंपनी की सभा में वोट देने का पूर्ण अधिकार होता है. |
| 7. पूंजी वापसी | कंपनी समापन की दशा में इन्हें समता अंशधारियों से पहले पूंजी वापिस पाने का अधिकार होता है. | जब इन्हें पूर्वाधिकार अंशधारियों के बाद ही पूंजी वापस किया जाता है. |
| 8. शोधन | एक निश्चित अवधि के पश्चात शोध्य पूर्वाधिकार अंशों का भुगतान कर दिया जाता है. | जबकि इसके लिए केवल कंपनी के समापन पर ही भुगतान किया जाता है. |
| 9. उद्देश्य | ऐसे अंशों को खरीदने का प्रमुख उद्देश्य नियमित तौर पर लाभांश प्राप्त करना होता है. | जबकि ऐसे अंशों को खरीदने का मुख्य उद्देश्य न केवल लाभांश प्राप्त करना बल्कि अंशों के मूल्यों में वृद्धि लाभ कमाना भी होता है. |

Scanned with CamSc